अत्यावश्यक/तत्काल
रजिस्टर्ड

प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1—समस्त अपर निदेशक ग्रेड—1, पशुपालन विभाग,उ0प्र0।
2—अपर निदेशक ग्रेड—2, पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग लखनऊ।
3—संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, चकगंजरिया लखनऊ/निबलेट बाराबंकी/बाबूगढ़ हापुड़।
4—संयुक्त निदेशक, सघन भेड़ एवं ऊन विकास प्रायोजना, मिर्जापुर।
5—परियोजना अधिकारी, सघन भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगढ़ चन्दौली।
6—संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, मंझरा खीरी।
7—प्रधानाचार्य आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
8—संयुक्त निदेशक,एनीमल न्यूट्रीशन पशु आहार प्रयोगशाला,निदेशालय कैम्पस, लखनऊ।
9—संयुक्त निदेशक, भदावरी भैंस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, इटावा।
10—उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर लखनऊ।

संख्या 3477/स्था0—2/1—ख/13(2309)/2015 दिनांक 26-08-2015

विषयः **मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.4.2012 के अनुपालन के कम में पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ कर दिनांक 15.11.97 से दिनांक 28.4.2012 तक प्रोन्नत कर्मियों को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या—3509/37—1—2015—5(19)/2015 दिनांक 24 अगस्त, 20015 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें जिसके द्वारा प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या—4/2002/टी0सी0—1/2015 दिनांक 24.8.2015 एवं प्रारूप—1 एवं 2 की छायाप्रतियां भेजते हुए निम्न बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

(1) दिनांक 15.11.97 के पश्चात तथा 28.4.2012 तक आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत हुए कार्मिकों का विवरण। (प्रारूप—1)

(2) दिनांक 28.4.2012 के बाद पदोन्नत कार्मिकों की श्रेणीवार संख्या।(प्रारूप—2)

(3) उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 21.8.2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा यदि कोई कार्ययोजना बनायी गयी हो, तो उसका विवरण।

अतः उक्त के संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा वांछित बिन्दुओं पर सूचना पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर संलग्न प्रारूपों पर विशेष वाहक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि विभाग की संकलित सूचना शासन को प्रेषित की जा सके। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब वांछनीय नहीं होगा।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नन्द लाल)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या–3509/37–1–2015–5(19)/2015

प्रेषक,

प्राणेश चन्द्र शुक्ल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–1 लखनऊ::दिनांक 24 अगस्त, 2015

विषय:: मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.4.2012 के अनुपालन के कम में पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 15.11.97 से दिनांक 28.4.2012 तक प्रोन्नत कर्मियों को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–4/2002/टी0सी0–1/का–2/2015, दिनांक 24.8.2015 की संलग्नकों सहित छाया प्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में संलग्न प्रारूपों में निम्नलिखित सूचना तैयार कर दिनांक 25.8.2015 को प्रातः 10.00 बजे तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

(1) दिनांक 15.11.97 के पश्चात् तथा 28.4.2012 तक आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत हुये कार्मिको का विवरण।(प्रारूप–1)

(2) दिनांक 28.4.2012 के बाद पदोन्नत कार्मिकों की श्रेणीवार संख्या। (प्रारूप–2)

(3) उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 21.8.2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा यदि कोई कार्ययोजना बनायी गयी हो, तो उसका विवरण।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25.8.2015 को अपरान्ह 12.30 बजे एक समीक्षा बैठक आहूत की गयी है, अतः प्रकरण में समयबद्ध रूप से तत्काल कार्यवाही का अनुरोध है।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

संख्या–3509(1)/37–1–2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक(प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–4/2002/टी0सी0–1/ का–2/2015, दिनांक 24.8.2015 की छाया प्रति संलग्न करते हुये इस आशय से प्रेषित कि वह वांछित सूचनायें तत्काल तैयार कराकर शासन को दिनांक 25.8.2015 को प्रातः 10.00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

Doc-15

3509/37-1-15
बैठक / दिनॉक 25.08.2015

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

अर्द्धशा.प.संख्या–4 / 1 / 2002टी.सी.–1 / का–2 / 2015
कार्मिक अनुभाग–2
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊः दिनॉकः 24 अगस्त, 2015

प्रिय महोदय,

मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 27.04.2012 के अनुपालन के कम में पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर 15.11.1997 से 28.04.2012 तक प्रोन्नत कर्मियों को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–8 / 4 / 1 / 2002टी.सी.–1 / का–2 / 2015, दिनॉक 21.08 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि उक्त वर्णित शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा हेतु दिनॉक 25.08.2015 को अपरान्ह 12:30 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उनके सभा कक्ष में एक बैठक आयोजित की गयी है। उक्त बैठक में अन्य सूचनाओं के अलावा निम्नांकित बिंदुओं पर विभागवार / बिंदुवार / समेकित सूचना (दो प्रतियॉ) के साथ प्रतिभाग करने का कष्ट करें:–

(i) दिनॉक 15.11.1997 के पश्चात तथा 28.04.2012 तक आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत हुए कार्मिक का विवरण (इस सम्बन्ध में एक प्रारूप समस्त विभागों को पूर्व में प्रेषित किया गया था। पुनः यह प्रारूप–I संलग्न किया जा रहा है, जिस पर समेकित सूचना दी जानी है।)

(ii) दिनॉक 28.04.2012 के बाद पदोन्नत कार्मिकों की श्रेणीवार संख्या। (संलग्न प्रारूप–II के अनुसार– पूर्व में यह प्रारूप विभागों को प्रेषित किया गया था। विभागों द्वारा इस पर सूचना भी दी गयी है, पुनः अद्यतन सूचना इसी प्रारूप में वांछित है)

(iii) उक्त वर्णित शासनादेश दिनॉक 21.08.2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा यदि कोई कार्ययोजना बनायी गयी हो तो उसका विवरण।

3. मा. सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका लम्बित होने के फलस्वरूप मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 27.04.2012 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कर मा. सर्वोच्च न्यायालय को दिनॉक 10.09.2015 तक अवगत कराया जाना है। इस पृष्ठभूमि में प्राथमिकता वांछित है।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,

(राजीव कुमार)

प्रमुख सचिव / सचिव (नाम से)
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रारूप-1

विभाग का नाम :..............................

दिनाँक 15.11.1997 के पश्चात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य कराते हुए पदोन्नतियाँ किये जाने हेतु जारी किये गये आदेशों का विवरण।

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मी का नाम	वर्तमान पदनाम	प्रथम पदोन्नति			द्वितीय पदोन्नति			तृतीय पदोन्नति			अभ्युक्ति
			तिथि	पदनाम	वेतनमान	तिथि	पदनाम	वेतनमान	तिथि	पदनाम	वेतनमान	

टिप्पणी : ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो गये हैं, उनके वर्तमान पदनाम के समक्ष सेवानिवृत्त अंकित किया जाये।

विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव के ...

दिनांक 08 मई, 2012 के पश्चात् अब तक पदोन्नत किये गये कार्मिकों की संख्या विषयक कार्मिक अनुभाग–1 के अर्द्ध शा0 पत्र सं0–457 / का–1 / 2015–13(1) / 2015, दिनांक 24 जुलाई, 2015 का संलग्नक ।

प्रारूप - २

विभाग का नाम..................................

क्रम संख्या	पद समूह	दिनांक 08 मई, 2012 के पश्चात् अब तक पदोन्नत किये गये कार्मिकों की संख्या	अभ्युक्ति (यदि कोई हो)
1	2	3	4
1.	क		
2.	ख		
3	ग		

हस्ताक्षर / मुहर

विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव